रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236007
CG-DL-E-25052022-236007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944
No. 271] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISTHA 3, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

फा. सं. 11012/038/2016-2017/एफएसएसएआई/एफएंडए.—खाद्य सुरक्षा और मानक (वित्तीय) विनियम, 2020, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, बनाने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

अध्याय-1

1. सामान्य

1.1 संक्षित नाम और प्रवर्तन

1.1.1 इन विनियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

1.1.2 ये भारत के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि अथवा विहित तिथि से लागू होंगे।

1.2 परिभाषाएँ

1.2.1 इन विनियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) **'अधिनियम'** से समय-समय पर संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) अभिप्रेत है।

(ii) **'खाद्य प्राधिकरण'** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(iii) **'वित्त समिति'** से खाद्य प्राधिकरण की निधियों से संबंधित मामलों में परामर्श/निर्देश देने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है।

(iv) **'मुख्य वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए)'** से अधिनियम की धारा 10(4) के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

इन विनियमों में प्रयुक्त परंतु अपरिभाषित अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा जो अधिनियम में अभिप्रेत है।

अध्याय-2

2. प्राधिकरण की निधियाँ

2.1 खाद्य प्राधिकरण अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निधि' स्थापित करेगी। प्राधिकरण की वित्तीय प्राप्तियों में निम्नलिखित राशियाँ शामिल होंगी, अर्थात्,-

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को दिए गए अनुदान।

(ख) प्राधिकरण द्वारा शुल्कों और दंडों और अन्य वैधानिक शुल्कों के रूप में वसूली गई राशियाँ।

(ग) निधि से किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज अथवा अन्य आय;

(घ) परीक्षण प्रभारों, परामर्श, अनुदानों, दानों से अथवा किसी अन्य स्रोत से हुई आय।

2.2 खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विनियामक संस्था के रूप में वसूली गई सभी राशियाँ, यथा शुल्क, दंड और अन्य वैधानिक प्रभार (उन पर ब्याज सहित) का अलग-अलग लेखा रखा जाए और वे प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले निजी जमा खाते में प्राप्त किए जाएँ।

2.3 विनियम 2.1(ख) के अंतर्गत वसूली गई राशियों को हितधारकों में साझा करने के बारे में निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा।

2.4 प्राधिकरण के पास विनियम 2.2 में उल्लिखित प्राप्तियों के रूप में इन विनियमों के लागू होने की तिथि को उपलब्ध कोई राशि ऐसी प्राप्तियों के लिए स्थापित खाते में अंतरित कर दी जाएँगी।

2.6 खाद्य प्राधिकरण के सभी व्यय विनियम 2.1 में उल्लिखित सम्मिलित प्राप्तियों से अधिनियम की धारा 81(1) के उपबंधों के अनुसार खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और केंद्रीय सरकार को अग्रेषित बजट के अनुसार किए जाएँगे।

2.7 खाद्य प्राधिकरण विनियम 2.1 में उल्लिखित वित्तीय प्राप्तियों को हैंडल करने के लिए एक से अधिक बैंक खाते खोल सकती है।

अध्याय-3

3. वित्तीय समिति : एक वित्तीय समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क)	कार्यकारी निदेशक (वित्त), एफ.एस.एस.ए.आई	- समिति के अध्यक्ष
(ख)	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि	- सदस्य
(ग)	खाद्य प्राधिकरण द्वारा नामित इसके दो सदस्य	- सदस्य
(घ)	निदेशक (वित्त), एफ.एस.एस.ए.आई	- सदस्य सचिव

3.1 वित्तीय समिति की भूमिका खाद्य प्राधिकरण के वित्तीय मामलों, और निम्नलिखित से विशिष्ट रूप से सम्बद्ध मामलों में, सलाह देना होगा:

(क) प्राधिकरण के बजट (कार्यकारिता बजट सहित) की समीक्षा करना।

(ख) केंद्रीय सरकार से लेखानुदान और अन्य प्राप्तियों के आकलन की समीक्षा करना।

(ग) सरकारी ऑडिटरों से प्राधिकरण के खातों के ऑडिट की समीक्षा करना।

(घ) अधिशेष निधियों के निवेश की समीक्षा करना।

(ङ) विभिन्न कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए बजट आबंटन के बारे में सलाह की समीक्षा करना।

3.2 (i) मुख्य वित्तीय प्राधिकारी वित्तीय रिपोर्टों के फोर्मेट तैयार करवाएगा और वित्तीय समिति को वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

(ii) इन रिपोर्टों में सामान्यत: प्राधिकरण की वित्तीय और नकदी की स्थिति, इस द्वारा बजट का अनुपालन और अंशदानों पर किसी अंशदानदाता द्वारा लगाई गई शर्तें होंगी।

(iii) अधिनियम की धारा 81(1) और 83(1) में यथाविहित विभिन्न वित्तीय विवरणियों पर वित्तीय समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद वे मुख्य वित्तीय प्राधिकारी द्वारा खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएँगी।

3.3 समिति की बैठकें :

(i) समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार अथवा आवश्यकतानुसार अधिक बार बुलाई जाएँगीं।

(ii) समिति की किसी बैठक में कार्य के संव्यवहार के लिए कोरम कार्यकारी निदेशक, एफ.एस.एस.ए.आई और दो अन्य से मिलकर बनेगा।

(iii) बैठक का कार्यवृत्त उचित प्रकार से तैयार किया जाएगा और उस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(iv) बैठकों में उपस्थित होने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते खाद्य प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाएँगे।

अध्याय-4

4. निधि के उपयोग के लिए प्रत्यायोजन: निधि का उपयोग नीचे निर्दिष्ट विधि से किया जाएगा:

4.1 केंद्रीय सरकार से प्राप्त निधि से सभी व्यय भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार किए जाएँगे।

4.2 केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों से सभी व्यय भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों अथवा वित्त समिति की अनुशंसा पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएँगे।

अध्याय-5

5. प्राधिकरण के लेखे

5.1 प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखेगी तथा लेखों की वार्षिक विवरणी केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य दिशा-निर्देशों तथा फॉर्म में तैयार करेगी, जिसमें बैलेंस शीट शामिल है।

5.2 प्राधिकरण के लेखों का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा अथवा इस संबंध में उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे ऑडिट के संबंध में उस द्वारा अथवा उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा देय होगा।

5.3 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक अथवा उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उन पर ऑडिट रिपोर्ट के साथ, केंद्रीय सरकार को हर वर्ष प्रस्तुत किए जाएँगे तथा वह सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अथवा सरकार द्वारा यथाविहित रूप में प्रस्तुत कराएगी।

[विज्ञापन III/4/असा./91/2022-23]

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May , 2022

F.No. 11012/038/2016-2017/FSSAI/F&A.—The following draft of Food Safety and Standards (Financial) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (t) of sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by the said sub-section (1)of section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

CHAPTER - I

1. General

1.1 Short title and commencement

1.1.1 These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Financial) Regulations, 2022.

1.1.2 They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette or as specified.

1.2 **Definitions**

1.2.1 In these regulations, unless the context otherwise requires:

(i) 'Act' means Food Safety & Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006), as amended from time to time.

(ii) 'Food Authority' means the Food Safety and Standards Authority of India set up under Food Safety and Standards Act, 2006.

(iii) 'Finance Committee' means a Committee constituted to advise/issue directions on matters related to the funds of the Food Authority.

(iv) 'Chief Financial Authority (CFA) means the Chief Executive Officer, FSSAI in respect of the powers to be exercised under section 10 (4) of the Act.

The expressions used in these Regulations but not defined herein shall have the meaning ascribed to them in the Act.

CHAPTER - II

2. Funds of the Authority

2.1 The Food Authority will set up the Food Safety and Standards Authority of India Fund to further the objectives of the Act. Financial receipts of the Authority shall include the following amounts, namely:

a. Grants made to the Food Safety and Standards Authority of India Fund by the Central Government.

b. The sums realized by the way of fees and penalties and other statutory charges by the Authority.

c. The interest or other income received out of the investments made from the Fund;

d. The income generated by way of testing charges, consultancy, grants, donations; or any other sources, etc.

2.2 All sums such as fees, penalties and other statutory charges realized by the Food Safety and Standards Authority (including interest thereof) as a Regulatory Body may be separately accounted for and received in a Bank Account to be maintained by the Authority;

2.3 Sharing of sums realized under regulation 2.1(b) among stakeholders shall be decided by the Authority.

2.4 Any amount available with the Authority as on the date of coming into force of these Regulations on account of the receipts mentioned in regulation 2.2, shall be transferred to the Bank Account set up for such receipts.

2.5 All expenses of the Food Authority shall be met from the combined receipts referred to in regulation 2.1, in accordance with the budget as approved by the Food Authority and forwarded to the Central Government in accordance with the provisions contained in section 81(1) of the Act.

2.6 The Food Authority may maintain more than one bank accounts to handle financial receipts mentioned in regulation 2.1.

CHAPTER - III

3. Finance Committee: There shall be a Finance Committee comprising of the following members:

(a)	Executive Director (Finance), FSSAI	- Head of the Committee
(b)	Representative of AS & FA, MoH&FW	- Member
(c)	Two members of the Food Authority nominated by it	- Members
(d)	Director (Finance), FSSAI	- Member Secretary

3.1 The role of the Finance Committee shall be to provide overall inputs on financial matters of the Food Authority and more specifically relating to:

a. Review of budget of the Authority (including performance budget).

b. Review of estimation of grant in aid from the Central Government and other receipts.

c. Review of audit of accounts of the Food Authority through Government Auditors.

d. Review of investment of surplus funds.

e. Review of advice on budget allocations for various work programmes.

3.2 (i) Chief Financial Authority shall cause to develop financial report formats and present the financial reports to the Finance Committee.

(ii) These reports would generally provide the Authority's financial and cash position, its adherence to the budget and any donor-imposed restrictions on contributions.

(iii) The various financial statements as prescribed under Sections 81(1) and 83 (1) of the Act shall be presented to the Food Authority by Chief Financial Authority after these have been considered by the Finance Committee.

3.3 **Meetings of the Committee:**

i. Meetings of the Committee shall be convened at least twice in a year or more frequently as may be required.

ii. Executive Director (Finance), FSSAI and two other members shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the Committee.

iii. The minutes of the meeting shall be duly prepared and signed by the attending members.

iv. Travel and other allowances admissible to non-official members of the Committee for attending the meetings may be borne by the Food Authority.

CHAPTER –IV

4. Delegation for utilization of the Fund: The Fund shall be utilized in the manner as indicated:

4.1 All expenses from the Fund received from the Central Government shall be incurred in accordance with the General Financial Rules of Government of India.

4.2 ll expenses from the funds received from the sources other than Central Government shall be incurred in accordance with the General Financial Rules of Government of India or as per guidelines approved by the Food Authority on the recommendations of the Finance Committee.

CHAPTER –V

5. Accounts of the Authority

5.1 The Authority shall maintain appropriate accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in accordance with such general directions as may be issued and in such form as may be specified by the Central Government.

5.2 The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by them in this behalf and any expenditure incurred by them or any person so appointed in connection with such audit shall be payable by the Authority.

5.3 The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him on this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament or as prescribed by the Government.

[ADVT.-III/4/Exty./91/2022-23]

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.25 16:26:27 +05'30'